एसएमएस अलर्ट पाने के लिए फार्म के शीर्ष पर अपना मोबाइल नंबर लिखें।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
प्रपत्र 20
नाबालिक/मृतक सदस्यों की भविष्य निधि संचित राशि के प्रत्याहरण के लिए दावा।
अनुदेश

दावा आवेदन किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए ?

1. यदि सदस्य नाबालिक है, तो उसके संरक्षक द्वारा ?

अथवा

2. सदस्य की मृत्यु होने पर :

(क) यदि एक वैध नामांकन रहता है :

मृतक सदस्य के नामिति (तों) द्वारा और यदि नामित नाबालिक हो (हों) तो नामित (तों) के संरक्षक द्वारा।

(ख) यदि कोई वैध नामांकन नहीं है, तो अन्तिम नियोक्ता अथवा मामलातदार/तहसीलदार अथवा कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्तुत (सदस्य की मृत्यु होने की तारीख को) जीवित सदस्यों की सूची के द्वारा विधिवत् समर्थित मृत सदस्य के परिवार के सदस्य, इसमें उनका नाम, मृतक सदस्य के साथ संबंध, आयु, वैवाहिक स्थिति, माता–पिता के मामले में वे क्या आश्रित हैं या नहीं, आदि

यदि परिवार का कोई सदस्य नाबालिक है तो नाबालिक के संरक्षक द्वारा।

यदि उपरोक्त (क) और (ख) दोनों लागू नहीं – उत्तराधिकार संबंधी कानूनी प्रमाण–पत्र के द्वारा विधिवत् समर्थित कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा।

सामान्य अनुदेश

1. दावेदार यदि अपना मोबाइल नं. अंकित करेगे तो दावे के बारे में हर स्थिति की जानकारी उन्हे उनके मोबाइल पर एसएमएस द्वारा दे दी जायेगी।
   दावे की स्थिति की जानकारी हेतु दावेदार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर ''दावे की स्थिति जाने'' लिंक का प्रयोग भी कर सकते है।
2. फार्म के सभी कॉलम स्पष्ट रूप से भरे जाएं और उनमें कोई काट–छांट नहीं की जानी चाहिए।
3. सदस्य का खाता संख्या : खाता संख्या में क्षेत्र का कोड, कार्यालय का कोड, स्थापना का कोड, उपकोड यदि हो, तथा खाता संख्या अंकित किया जाना चाहिए।

   कुछ राज्यों, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, गुजरात, आंध्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली में एक से अधिक क्षेत्र बनाये जाने के कारण क्षेत्र कोड बदल गये है। सही क्षेत्र कोड तथा कार्यालय कोड जानने के लिए कृप्या वेबसाइट पर ''स्थापना खोज'' सुविधा का प्रयोग करें।
4. दावे की राशि का भुगतान दावेदार के बैंक खाते में किया जाता है। यदि दावेदार का खाता किसी कम्प्यूटराइस्ड शाखा में हो तो भुगतान इलेक्ट्रोनिक माध्यम जैसे एन ई एफ टी द्वारा किया जाता है। इसके लिए दावेदार को अपने बैंक खाते के खाली/रद्द चैक की एक प्रति जिसमें खाता संख्या तथा शाखा का आई एफ एस कोड स्पष्ट हो, दावे के साथ संलग्न करना चाहिए।

भुगतान मनिआर्डर द्वारा भी किया जा सकता हैं यदि राशि दो हजार रूपये से कम हो। दावेदार को अपना डाक पता स्पष्ट और पिन कोड के साथ लिखना चाहिए ताकि मनिआर्डर द्वारा भुगतान अथवा दावे से संबंधित कोई पत्र उसे मिल सकें।

आवेदन पत्र का सत्यापन :

आवेदन पत्र उस नियोक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके अधीन सदस्य अन्तिम रूप से नियोजित था। यदि प्रपत्र को वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो दावेदार और नियोक्ता को प्रत्यके पृष्ठ पर जहां अंकित है, हस्ताक्षर करने चाहिए।

यदि स्थापना बंद है तथा उसके नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी उपलब्ध नही हैं तो दावेदार निम्नलिखित किसी एक प्राधिकृत अधिकारी से उसके कार्यालय की मोहर के साथ फार्म सत्यापित करवाकर उसकी उपस्थिति में हस्ताक्षर कराके दावा भेज सकता है :–

(i) मजिस्ट्रेट (ii) राजपत्रित अधिकारी (iii) डाक/उप–डाकपाल (iv) ग्राम संघ का प्रधान (v) जहां कोई संध बोर्ड नहीं है वहां ग्राम सरपंच (vi) नगर पालिका/जिला परिषद के सचिव/अध्यक्ष/सदस्य द्वारा (vii) संसद/विधान सभा के सदस्य (viii) कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड/क्षेत्रीय समिती के सदस्य (ix) बैंक, जहां पर सदस्य का खाता हो, के प्रबंधक से (x) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थान का प्रमुख

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

(क) मृत्यु प्रमाण प्रत्र, यदि दावा सदस्य की मृत्यु होने के फलस्वरूप नामिति/सदस्य के परिवार/अवयस्क नामिति के संरक्षक द्वारा कि जा रही हो

(ख) संरक्षण प्रमाण पत्र, यदि आवेदन पत्र नाबालिंग सदस्य/नामिती/परिवार के सदस्य/कानूनी उत्तराधिकारी के नैसर्गिक संरक्षक के अलावा एक संरक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

(ग) खाली/रद्द चैक की प्रति, ताकि भुगतान की राशि दावेदार के बैंक खाते में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से भेजी जा सकें।

(घ) फार्म 5 (आई एफ), कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत लाभ के दावे हेतु यदि,

1. सदस्य की मृत्यु सेवा मे रहते हुए हुई थी।
2. स्थापना जिसके अर्न्तगत सदस्य मृत्यु की तिथि को कार्यरत था, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, के अर्न्तगत, सदस्य की मृत्यु की तिथि को छूट प्राप्त नहीं था।

(ड) प्रपत्र 10 डी पेंशन के दावे हेतु यदि,

1. यदि दावेदार मृतक सदस्य के परिवार (पति/पत्नी/25 वर्ष की उम्र तक के बच्चें) का सदस्य हो।
2. पेंशन के लिए नामिति यदि मृतक सदस्य का कोई परिवार नहीं था और उसने दावेदार को नामिति घोषित किया हो।
3. निर्भर माता/पिता यदि मृतक सदस्य का कोई परिवार नहीं है और उसने पेंशन के लिए किसी को नामिति घोषित ना किया हो।

(च) प्रपत्र 10 सी, प्रत्याहरण लाभ के दावे हेतु यदि सदस्य की मृत्यु 58 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद हुई हो और सदस्य ने 58 वर्ष की आयु पूरा करने की तिथि को 10 वर्षो की पात्र सेवा पूरी नहीं की हों।